रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012024-251396 CG-DL-E-17012024-251396

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2024/पौष 27, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2024/PAUSHA 27, 1945

No. 181]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसुचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2024

का.आ. 190(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 3 के उप-पैरा (6) के परंतुक और पैरा 5 के उप-पैरा (ग) के अनुसरण में, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदाविध को 3 फरवरी, 2024 से छह मास की अविध के लिए या यथास्थिति, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति के पुनर्गठन तक, जो भी पूर्वतर हो, विस्तार करना आवश्यक और समीचीन समझती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 524(अ), तारीख 4 फरवरी, 2021 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

क. पैरा 2 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष और छह मास" शब्द रखे जाएंगे;

ख. पैरा 6 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष और छह मास" शब्द रखे जाएंगे;

[फा. सं. जे-11013/43/2007-आईए. II (I)] डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 524(अ), तारीख 4 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

339 GI/2024 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2024

S.O. 190(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the proviso to sub- paragraph (6) of paragraph 3 and sub- paragraph (c) of paragraph 5 of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (ii), *vide*, number S.O 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government being considered necessary and expedient, hereby extends the term of the Chairman and Members of the State Level Environmental Impact Assessment Authority, Punjab and Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee for a period of six months with effect from the 3rd February, 2024 or till the re- constitution of the State Level Environment Impact Assessment Authority and the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, whichever is earlier, and for that purpose makes amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment Forests and Climate Change number S.O. 524 (E), dated the 4th February, 2021 namely: -

- a. in paragraph 2, for the words "three years", the words "three years and six months" shall be substituted;
- b. in paragraph 6, for the words "three years", the words "three years and six months" shall be substituted.

[F. No. J-11013/43/2007-IA.II(I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

NOTE: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 524 (E), dated the 4th February, 2021.